

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3387

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

वरिष्ठ नागरिकों हेतु बीमा योजना

3387. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्तमान में निजी बीमा बाजार में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी बीमा योजनाएं उपलब्ध हैं और उन योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
- (ख) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए निजी कंपनियों की बीमा योजनाओं की वहनीयता का आकलन किया है;
- (ग) क्या सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए उचित कवरेज और प्रीमियम दरें सुनिश्चित करने हेतु निजी बीमा कर्ताओं के लिए दिशानिर्देश दिए हैं और इस हेतु विद्यमान प्रवर्तन तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) निजी बीमा कंपनियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों हेतु बीमा-दावों को अस्वीकार करने अथवा अनुचित अनुबंध रखने से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (घ): बीमा क्षेत्र के विनियामक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) ने इरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 और इरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम 2024-स्वास्थ्य बीमा पर मास्टर परिपत्र जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया गया है कि बीमाकर्ता सभी उम्र के पॉलिसीधारकों/संभावित ग्राहकों को व्यापक विकल्प प्रदान करने के लिए उत्पाद/ऐड-ऑन/राइडर उपलब्ध कराएं। इन दोनों दस्तावेज में यह निर्देश दिया गया है कि बीमाकर्ता, ग्राहक को उनकी चिकित्सा स्थितियों/विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादों / ऐड-ऑन / राइडर्स चुनने की सुविधा प्रदान करके उत्पादों के अनुकूलन की अनुमति देंगे।

उपर्युक्त की अनुपालना में, बीमाकर्ता विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं जिसमें वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी आयु समूहों को कवरेज प्रदान किया जा रहा है। प्रमुख विशेषताओं सहित इन उत्पादों में से कुछ की सूची अनुबंध में दी गई है।

बीमा उत्पादों को तैयार करने और उनके मूल्य निर्धारण के लिए ढांचा प्रदान करने हेतु उपयुक्तता और निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए विनियामकीय मानदंड मौजूद हैं। इरडाई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024, अन्य बातों के साथ-

साथ, बीमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने का अधिदेश देता है कि प्रीमियम दरें उचित हों और अत्यधिक, अपर्याप्त, अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण न हो तथा उनके मूल्य सेवा के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम में यह अपेक्षित है कि मूल्य निर्धारण में उत्पादों से संबंधित सभी जोखिमों पर समुचित रूप से विचार किया जाए।

विद्यमान कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरडाई द्वारा बीमाकर्ताओं का सतत आधार पर ऑफसाइट पर्यवेक्षण और आवधिक पर्यवेक्षण दोनों किए जाते हैं।

शिकायत निवारण के लिए विभिन्न चैनल उपलब्ध हैं जिनमें बीमा भरोसा पोर्टल शामिल है जो कि एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली है और पूरी इंडस्ट्री के शिकायत संबंधी आंकड़ों के लिए एक सेंट्रल रेपोजिटरी है। पॉलिसीधारक complaints@irdai.gov.in को ईमेल भेजकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीमा लोकपाल बीमाकर्ताओं और उसके मध्यस्थों के विरुद्ध पीड़ित पॉलिसीधारकों की शिकायतों को त्वरित और किफायती तरीके से हल करने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच है। इनके पूरे देश में 17 कार्यालय हैं। बीमाकर्ताओं को 30 दिनों के भीतर लोकपाल के निर्णय का पालन करना होगा, या विलंब के लिए प्रति दिन 5,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा।

इरडाई ने पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा और संबद्ध मामलों पर विनियमन, 2024 और उस पर मास्टर परिपत्र जारी किया है।

इसके अतिरिक्त, इरडाई ने वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए यह निर्धारित किया है कि सभी बीमाकर्ता वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा संबंधी दावों और शिकायतों को दूर करने के लिए एक अलग चैनल स्थापित करेंगे। ऐसे चैनल का विवरण बीमाकर्ताओं की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।”

16 दिसंबर, 2024 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3387 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्र.सं.	बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	प्रमुख विशेषता
1.	स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वरिष्ठ नागरिक रेड कार्पेट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
2.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
3.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सीएससी - वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
4.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	पीओएस - वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
5.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वरिष्ठ नागरिक मेडिकलेम पॉलिसी- प्रवेश आयु (60-80 वर्ष)	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
6.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	न्यू इंडिया सिक्सटी प्लस मेडिकलेम पॉलिसी प्रवेश आयु (60-80 वर्ष)	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
7.	मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वनहेल्थ सीनियर	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
8.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट हेल्थ शील्ड योजना	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
9.	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	गोल्डेन शील्ड	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
10.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक मेडिकलेम	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित

क्र.सं.	बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	प्रमुख विशेषता
		पॉलिसी	पॉलिसी
11.	निवा बूपा हेल्थ इश्योरेस कंपनी लिमिटेड	सीनियर फर्स्ट	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
12.	फ्यूचर जेनरली इंडिया इश्योरेस कंपनी लिमिटेड	भविष्य वरिष्ठ बीमा	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
13.	बजाज आलियांज आलियांज जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड	सिल्वर हेल्थ	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी
14.	एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेस कंपनी लिमिटेड	ऑप्टिमा सीनियर	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति आधारित पॉलिसी